भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1524

दिनांक 07.12.2021/ 16 अग्रहायण, 1943 (शक) को उत्तर के लिए

आठवीं अनुसूची में भाषा को शामिल करना

1524. श्री किशन कपूरः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने संविधान की आठवीं अनुसूची में भाषा की सूची में किसी राज्य की लोकप्रिय भाषा को मान्यता देने के लिए कोई मानदंड निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) उक्त सूची में जोड़े गए राज्य के साथ इसकी अंतिम भाषा का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ग): भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। आठवीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में से प्रत्येक को मान्यता प्रदान किए जाने की तारीखों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(i) 14 भाषाओं यथा असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू को संविधान में शुरूआत में अर्थात 26 जनवरी, 1950 को शामिल किया गया था।

(ii) सिंधी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में दिनांक 10.04.1967 को शामिल किया गया था।

(iii) कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में दिनांक 31.08.1992 को शामिल किया गया था।

(iv) बोड़ो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में दिनांक 07.01.2004 को शामिल किया गया था।

चूंकि, बोलियों और भाषाओं का विकास एक ऐसी परिवर्तनशील प्रक्रिया है, जो सामाजिक-सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास से प्रभावित होती है, इसलिए भाषाओं के लिए ऐसा कोई मानदंड निर्धारित करना मुश्किल है, जो उन्हें बोलियों से अलग करता हो अथवा जिससे उन्हें संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जा सके। ऐसे निर्धारित मानदंड विकसित

करने के लिए पाहवा (1996) और सीताकांत मोहापात्रा (2003) समितियों के माध्यम से किए गए पूर्ववर्ती प्रयास अनिर्णायक रहे हैं। भारत सरकार आठवीं अनुसूची में अन्य भाषाओं को शामिल करने से संबंधित भावनाओं और अपेक्षाओं को लेकर सचेत है। चूंकि, इनमें से कई भाषाएं अनेक राज्यों में बोली जाती हैं, इसलिए उनका प्रयोग राज्यों की सीमाओं तक सीमित नहीं है।

*****